

आदेश

डा० ज्योत्स्ना, द्यूटर, पैथोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दिनांक-04 12 2022 से 28 12 2025 तक की अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है -

(i)	दिनांक-04 12 2022 से 02 12 2025 तक	— अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय पत्रांक 2045(2), दिनांक 30 11 2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक-03 12 2025 से 26 12 2025 तक	— पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।
(iii)	दिनांक-27 12 2025 से 28 12 2025 तक	— राजपत्रित अवकाश के रूप में।

2 प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 18/9 / 2026

प्रतिलिपि प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
पटना/डा० ज्योत्स्ना, ट्यूटर, पैथोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Waman Kishore
सरकार के उप सचिव।

K